तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा न. 25/2018

उनवान

मालाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी

30.05.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार झुंझुनू से जांच रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली आदेश में ली जाकर वकील प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रार्थी का कथन है कि सैन्टलमेन्ट विभाग को दौराने सैटलमेन्ट पुराने रिकार्ड की पुनरावृति मय समस्त परिवर्तन की परिविष्टी से नया राजस्व रिकार्ड कायम करना पड़ता है। सैटलमेन्ट विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड (नक्शा शीट) को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। परन्तु सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध पुराने राजस्व रिकार्ड की पुरानी नक्शा शीट व वर्तमान नक्शा शीट छोटी बनाई जाने पर यह अन्तर नई व पुरानी शीट में आ रहा है। जिसको दुरुस्त करने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया है। हमने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए वकील प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान मे मुताबिक तहसीलदार झुंझुनू की अभिशंषा के अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक मौका जांच के अनुसार राजस्व रिकार्ड/नक्शा शीट को दुरुस्त कर पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अ[illegible])

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

Scanned by CamScanner